

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला -भीलवाड़ा**::आदेश ::**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मो. का. रेड़ा व भूअभिलेख निरीक्षक जोगरा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कुवाड़ा पटवार हल्का मो. का. रेड़ा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2074-2077 में खाता संख्या 13, 63 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं:-

| क्रम संख्या | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|-------------|---------|-------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | कुवाड़ा | 13, 63 | गजरी पुरी रेवरा, जेरी पुरी रेवरा, बालु पुरी रेवरा, लाहु पुरी रेवरा, सलीकी पुरी रेवरा, सोनी पुरी रेवरा | गजरी पुरी रेवरा, जेरी पुरी रेवरा, बालु पुरी रेवरा, सलीकी पुरी रेवरा, सोनी पुरी रेवरा किम जाग के अउर एरिया किम जाग है। |

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा, जिला-भीलवाड़ा
(उपखण्ड अधिकारी)
करेड़ा

क्रमांक:- न्यायालय/2021/14

दिनांक:- 30/11/21

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा

PP14/2021

2021/950